

अध्याय - 3

वित्तीय प्रतिवेदन

अध्याय - 3

वित्तीय प्रतिवेदन

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचनाओं सहित अच्छी आन्तरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावी संचालन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, कार्यविधि तथा अनुदेशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसी अनुपालनों की स्थिति पर प्रतिवेदन की समयपरक गुणवत्ता, सुशासन के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। अनुपालन एवं नियन्त्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावशाली और क्रियात्मक हो तो, रणनीतिक आयोजना, निर्णयन तथा शेयर धारकों के उत्तरदायित्व जैसे प्रबंधात्मक उत्तरदायित्वों की पूर्ति में राज्य सरकार को सहायता पहुँचाते हैं। यह अध्याय, चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधि एवं अनुदेशों की राज्य सरकार द्वारा की गई अनुपालन की स्थिति का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

वित्तीय नियमावली में उपबंध है कि विशिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रदत्त अनुदानों के लिए, विभागीय अधिकारियों द्वारा, अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये जाने चाहिए तथा सत्यापन के पश्चात उन्हें अन्यथा विनिर्दिष्ट न होने पर, संस्वीकृति तिथि से 12 माहों के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिए। मार्च 2015 तक ₹ 500.26 करोड़ की राशि के 456 उपयोगिता प्रमाणपत्र लम्बित थे। इनमें से, ₹ 393.88 करोड़ धनराशि के 273 उपयोगिता प्रमाण पत्र (59.87 प्रतिशत) दो वर्षों से लम्बित थे तथा दो वर्षों से ऊपर के ₹ 106.38 करोड़ धनराशि के 183 उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित थे। उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में अवधि-वार विलम्ब तालिका 3.1 में सारांशित है।

तालिका 3.1 : मार्च 2015 को उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अवधि-वार बकाये

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्षों की संख्या में विलम्ब की सीमा	लम्बित उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		संख्या	राशि
1	0-1	194	259.32
2	1-2	79	134.56
3	दो वर्षों से ऊपर	183	106.38
	योग	456	500.26

स्रोत: महालेखाकार (ले एवं ह) उत्तराखण्ड द्वारा तैयार वित्त लेखे 2014-15।

यद्यपि, ₹ 259.32 करोड़ के 194 उपयोगिता प्रमाण पत्रों की नियत तिथि अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के मध्य है।

उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि क्या प्राप्तकर्ता ने अभीष्ट उद्देश्य पर ही अनुदान का उपयोग किया है, जिस हेतु उनकी स्वीकृति दी गयी थी। इसलिए, प्राप्तकर्ताओं द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्रों के शीघ्र प्रस्तुतीकरण हेतु विभागों द्वारा प्रयास किए जाएँ।

3.2 लेखाओं का प्रस्तुत न किया जाना / विलम्ब से प्रस्तुतीकरण

नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा हेतु चिन्हित किये जाने वाले संस्थानों में सरकार / विभागाध्यक्षों को विभिन्न संस्थानों को प्रतिवर्ष दिये गये आर्थिक सहायता, जिन उद्देश्यों के लिए सहायता दी गयी हो और संस्थान के कुल व्यय का विस्तृत विवरण, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करना आवश्यक है। लेखा एवं लेखापरीक्षा नियम 2007 उपलब्ध कराते हैं कि सरकार एवं विभागाध्यक्ष जो अनुदान एवं / अथवा ऋण, निकायों एवं प्राधिकारियों को स्वीकृत करते हैं, लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रत्येक वर्ष जुलाई के अन्त तक ऐसे निकायों एवं प्राधिकारियों के जिन्हे पिछले वर्ष ₹ 10 लाख या उससे अधिक अनुदान एवं ऋण प्रदत्त किया हो, (अ) सहायतित धनराशि (ब) उद्देश्य जिनके लिए सहायता दी गयी हो और (स) संस्था प्राधिकारी के कुल व्यय को दर्शाने वाले विवरण प्रस्तुत करेंगे।

यह देखा गया कि पिछले वर्ष ₹ 10 लाख अथवा उससे अधिक अनुदान और / अथवा ऋण प्राप्त संस्था अथवा प्राधिकारियों में से किसी भी विभागाध्यक्ष ने विवरण प्रस्तुत नहीं किया। परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा, स्वीकृत अनुदान की उपयोगिता की प्रवृत्ति, विशेषतः व्यपवर्तन अथवा दुरुपयोग के प्रकरण में, विधायिका / सरकार को आश्वासन नहीं दे सका।

3.3 विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों के सम्बन्ध में लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति वाले कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों से अपेक्षित है कि वे विहित प्रपत्र में वार्षिक रूप से वित्तीय कार्यकलापों के कार्य-चालन परिणाम प्रदर्शित करते हुये प्रोफार्मा लेखे तैयार करें ताकि सरकार उनके क्रियाकलापों का आकलन कर सके। विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध वाणिज्यिक उपक्रमों के वार्षिक अन्तिमीकृत लेखे, उनकी समग्र वित्तीय स्थिति तथा अपने कारोबार को संचालित करने में कार्य कुशलता को दर्शाते हैं। लेखों को समय पर अन्तिम रूप न दिये जाने के अभाव में, सरकारी निवेश, लेखापरीक्षा/राज्य विधान मण्डल की संवीक्षा के अन्तर्गत नहीं आ पाते। परिणामतः उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने व कार्यकुशलता में सुधार लाने हेतु यदि कोई सुधारात्मक उपाय अपेक्षित हों तो वे समय पर नहीं किये जा सकते। इसके अतिरिक्त, सभी तरह के विलम्ब से, व्यवस्था में हर समय धोखाधड़ी व सार्वजनिक धन के स्राव की सम्भावना बनी रहती है।

सरकारी विभागों के विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना होता है कि ऐसे उपक्रम अपने लेखे तैयार करें तथा विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्तर्गत महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहरादून को प्रस्तुत करें। मार्च 2015 तक, दो ऐसे उपक्रमों में से एक ने लेखे तैयार नहीं किए थे तथा उनके लेखे वर्ष 2002-03 व उसके बाद से बकाये थे। प्रोफार्मा लेखे तैयार करने के बकाये व सरकार द्वारा किये

गये निवेश की विभाग-वार स्थिति **परिशिष्ट 3.1** में दी गयी है। लेखे को अन्तिम रूप देने में विलम्ब से, वित्तीय अनियमितता के जोखिम का पता नहीं लगता, अतः लेखे को तैयार कर लेखापरीक्षा को शीघ्रतम प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

3.4 दुर्विनियोग, हानि, गबन, आदि

लेखापरीक्षा ने मार्च 2015 तक ₹ 1.44 करोड़ की सरकारी राशि के दुर्विनियोग, गबन व चोरी आदि के चार प्रकरण पाए, जिन पर अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी। लम्बित मामलों का विभाग-वार विवरण तथा अवधि-वार विश्लेषण **परिशिष्ट- 3.2** में दिया गया है तथा इन मामलों की प्रकृति **परिशिष्ट- 3.3** में दी गई है। लम्बित मामलों का अवधि-वार विवरण तथा प्रत्येक संवर्ग में चोरी तथा दुर्विनियोग/हानि के लम्बित मामलों की संख्या को **तालिका 3.2** में सारांशित किया गया है।

तालिका 3.2: 31 मार्च 2015 तक दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि के मामलों की रूपरेखा

लम्बित मामलों का अवधि-वार विवरण			लम्बित मामलों की प्रकृति		
अवधि वर्षों में	मामलों की संख्या	सन्निहित धनराशि (₹ लाख में)	मामलों की प्रकृति / विशिष्टताएँ	मामलों की संख्या	सन्निहित धनराशि (₹ लाख में)
0-1	--	--	--	--	--
1-2	--	--	--	--	--
2-3	--	--	--	--	--
3-4	02(2011-12)	109.87	दुर्विनियोग/माल की हानि	02(2011-12)	109.87
4 एवं अधिक	01(2008-09) 01(2010-11)	33.91	दुर्विनियोग/माल की हानि	01(2008-09) 01(2010-11)	33.91
--	--	--	योग	04	143.78
--	--	--	वर्ष के दौरान हानियों के अपलेखन के मामले	--	--
योग	04	143.78	कुल लम्बित मामले	04	143.78

₹ 143.78 लाख के, दुर्विनियोग/ हानि की अन्तिम कार्रवाई हेतु अनिर्णित इन चार मामलों में से ₹ 1.07 लाख का एक अनिर्णित मामला शिक्षा विभाग के पास था जबकि ₹ 142.71 लाख की पर्याप्त राशि के अन्य तीन मामलों को वन विभाग द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना प्रतीक्षित था।

इस प्रकार एक प्रभावपूर्ण पद्धति को दुर्विनियोग, हानि व चोरी के प्रकरणों के शीघ्रतम निस्तारण हेतु स्थापित करने और भविष्य में ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति से बचना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

3.5 लघु शीर्ष 800- 'अन्य प्राप्तियाँ' तथा 'अन्य व्यय' के अधीन बुकिंग

विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष 800 - 'अन्य व्यय' एवं 'अन्य प्राप्तियाँ' का संचालन केवल उस समय किया जाये जब खाता चार्ट में उचित लघुशीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया है। विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष 800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाये क्योंकि इससे खाते अपारदर्शी होते हैं। 2014-15 के दौरान, राजस्व लेखों में 39 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत लघुशीर्ष अन्य व्यय के अधीन ₹ 24,28.79 करोड़ की राशि कुल राजस्व व्यय ₹ 2,11,63.71 करोड़ की 11.48 प्रतिशत रही। लेखाओं में 33 मुख्यशीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत लघुशीर्ष अन्य प्राप्तिओं के अधीन ₹ 12,69.81 करोड़ की राशि कुल राजस्व प्राप्तिओं (₹ 2,02,46.55 करोड़) की 6.27 प्रतिशत रही। दृष्टान्त, जिनमें प्राप्ति और व्यय का पर्याप्त भाग (50 प्रतिशत अथवा अधिक एवं ₹ 10 करोड़ से अधिक) लघु शीर्ष 800 - अन्य प्राप्तियाँ में वर्गीकृत की गयी थी, तालिका 3.3 में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.3 : मुख्य शीर्ष - 800 अन्य प्राप्तियाँ/ व्यय के अधीन बुकिंग की पर्याप्त धनराशि

(₹ करोड़ में)

"800-अन्य प्राप्तियाँ"				"800-अन्य व्यय"			
मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्तियाँ	मुख्य शीर्ष-800 के अधीन बुकिंग	प्राप्तिओं की प्रतिशतता	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	मुख्य शीर्ष-800 के अधीन बुकिंग	व्यय की प्रतिशतता
0023	22.04	22.04	100	2245	709.85	497.92	70.14
0030	714.06	714.06	100				
0059	28.29	28.22	99.75	2250	66.89	66.82	99.89
0210	37.78	37.78	100	2425	43.19	25.43	58.88
0406	351.24	351.24	100	2501	426.73	407.99	95.61
0801	45.01	45.01	100				
योग	11,98.42	11,98.35	99.99	योग	12,46.66	9,98.16	80.07

स्रोत: महालेखाकार (ले एवं ह), उत्तराखण्ड द्वारा तैयार वित्त लेखे।

वित्तीय लेखाओं में मुख्य योजनाओं का अलग से आरेखण नहीं किया है, जबकि इन लेखाओं के विवरण उप-शीर्ष (योजना) स्तर या निम्न में, अनुदानों के विवरणात्मक माँगों में तथा संबन्धित शीर्ष-वार विनियोजित लेखाओं में सरकारी लेखाओं के भाग बनकर आरेखित है। लघु शीर्ष '800'-अन्य प्राप्तियाँ/व्यय के अधीन भारी रकम का वर्गीकरण वित्तीय प्रतिवेदन कार्य में पारदर्शिता/ शुद्ध चित्रण को प्रभावित करता है।

3.6 निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

विभागीय अधिकारियों ने 262 उपयोगिता प्रमाण पत्रों (मार्च 2015 तक देय) को, विशेष उद्देश्यों के लिए दिये गये अनुदानों ₹ 240.94 करोड़ के सापेक्ष महालेखाकार (ले एवं ह), उत्तराखण्ड को मार्च 2015 तक प्रस्तुत नहीं किया। इन प्रमाण पत्रों की अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि क्या प्राप्तकर्ता ने प्रायोजित उद्देश्यों के लिए अनुदानों का उपयोग किया।

सरकार सुनिश्चित करे कि विशेष प्रयोजन हेतु अवमुक्त अनुदानों के संबन्ध में विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से प्रस्तुत हों।

पिछले वर्ष ₹ 10 लाख अथवा उससे अधिक अनुदान और/ अथवा ऋण प्राप्त संस्था अथवा प्राधिकारियों में से किसी भी विभागाध्यक्ष ने विवरण प्रस्तुत नहीं किया। ऐसे संस्थान जिनकी नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक से लेखापरीक्षा की जानी थी, समुचित पहचान नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा उपयुक्त कार्यवाही के लिए, सरकार अनुदान या ऋण प्राप्त करने वाले सभी स्वायत्त संस्थाओं एवं अन्य इकाइयों के वार्षिक खातों का समय से अन्तिमीकरण एवं प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत, व्यय एवं प्राप्तियों की लघुशीर्ष '800-अन्य व्यय' एवं '800-अन्य प्राप्तियाँ' में बुक महत्वपूर्ण राशियाँ 2014-15 के वित्त लेखे में, स्पष्ट रूप से नहीं दर्शायी गयी, जिससे वित्तीय प्रतिवेदन की पारदर्शिता प्रभावित हुयी।

राज्य सरकार वित्तीय रिपोर्टिंग की शुद्धता को सुनिश्चित करने पर विचार करे। मुख्य योजनाओं की प्राप्तियों एवं व्ययों को विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्षों '800-अन्य व्यय' तथा '800-अन्य प्राप्तियाँ' में छिपाने की बजाय पृथक रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

देहरादून

दिनांक : 31 मार्च 2016



(सौरभ नारायण)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक : 4 अप्रैल 2016



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

